रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30, 2010/माघ 10, 1931
No. 184] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 2010/MAGHA 10, 1931

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2010

का.आ. 224 (अ).—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उप-धारा (1) के उपबंध बैंकों पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध मूर्त परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व न करने वाले व्यय के रुप में माने गए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानक के अनुपालन के कारण उत्पन्न अपरिशोधित कम्प्यूटर साफ्टवेयर व्यय के संव्यवहार से है।

[फा. सं. 13/3/2009-बीओए]
समीर सिन्हा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2010

S.O. 224 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 15 of the Banking Regulation Act, 1949 shall not apply to banks in so far as the unamortised computer software expenditure arising on compliance with applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India being treated as expenditure not represented by tangible assets.

[F. No. 13/3/2009-BOA]
SAMIR SINHA, Director

363 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.